

मु. नं. ३२/३ राजूड़ी / दल्लाराम

इस उक्त प्रकरण में पुनः गुणावयुक्त पर
निर्णय एवं प्राथमिक डिब्बी पारित करी अतः
नुसार पत्रावली दिनांक २१-१-२६ को पेश
हो

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

कार हसी स्थगन
21-1-26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. रामचारी पालि
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है ~~पेश~~ की ओर से
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक २१-१-२६ को पेश हो
18-2-26 को पेश किया।

18-2-26 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील
अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई
गई। बार-बार आवाज दिलवाने के
बावजूद वादी व वकील वादी में से कोई उप-
स्थित नहीं। अतः वादी का वाद अदम
हाजरी। अदम फेरवी में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार हफ़्ते नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)